"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 30, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-7/2012/1-7.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय अधिसूचना दिनांक 11-07-2012 द्वारा जांच आयोग के नियुक्ति आदेश के पैरा-2 में- "जिसके एकल सदस्य, माननीय न्यायमूर्ति व्ही. के. अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष छ.ग. उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष, म.प्र. शुल्क नियामक अपीलीय न्यायाधिकरण, भोपाल होंगे" के स्थान पर विशेष जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति व्ही. के. अग्रवाल, भूतपूर्व अध्यक्ष, छ.ग. उपभोक्ता संरक्षण आयोग एवं अध्यक्ष, म.प्र. शुल्क नियामक अपीलीय न्यायाधिकरण, भोपाल के अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग नियुक्त करता है." प्रतिस्थापित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.